

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

पंचालय  
 नाम आमुष कुमार वनाम वीरलाल  
 क्रम मुकदमा 7.1 मु. नं. 02/2019 वर्ष

आज्ञा - पत्र

क्र. सं.	आज्ञा - पत्र
19/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हस्तक्षेप पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बिनाक..... 11.6.24... पेश हुई
21/24	पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के निवासी सेरिया 3152/2024 के दिनांक 27-05-2024 की पालना (परिलिखित) में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अधात्री सेरिया एक की ओर से उभयपक्ष के समक्ष में Rulings पेश की गई जो निम्नानुसार हैं। (1) RRD 2004 Page No - 133 (2) RRT 2017(2) Page No - 1362 (3) RRT 2003(1) Page No - 382 (4) DNS 2018 (SC) Page No - 826 पत्रावली वाले वदम एव निजी हेतु दिनांक 27/6/24 का पेश है। लय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
27/24	पत्रावली वाले वदम पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अधात्री ने पद दस्तावेज सूची नकल मागानंतरण सेरिया 828 दिनांक 21-11-2018 एव Ruling म्यामलम राजस्व मण्डल अजमेर अधात्री सेरिया निवासी/TA/70/99/अलवर निर्णय दिनांक 6/01/2005 उनका मेहस्वद वनाम भोजप्रकाश पेश की। उभयपक्ष के समक्ष में उभयपक्ष इस प्रकार हैं कि वकील उभयपक्ष पालना पत्रावली वाले वदम रसीदद्वारा लक्ष्मील शोध सीकर की हस्तक्षेप सेरिया नम्बर 03, 177 व 178 कुलकिला 3 कुल रकबा 6.62 है व सेरिया नं 64 रकबा 6.62 है। अधात्री है जिसका राजस्व रिकॉर्ड के खालेदार भोजप्रकाश अधात्री सेरिया 1 के नाम है। उक्त हस्तक्षेप पत्रावली हस्तक्षेप है। उभयपक्ष के अधात्री एव अधात्री सेरिया 1 का 5 का मागानंतरण हिस्सा लक्ष्मील वकील मंत्री की समुच्चर खालेदारी की भूमिया है। अधात्री की माग सुनिश्च देवी व पिलाभनोडर सिंह अधात्री सेरिया 2 का विवाह दिनांक 24-11-2007 का हिन्दू रिवाजों के अनुसार हुआ लक्ष्मील वकील

लय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर



# राज्य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय \_\_\_\_\_  
 नाम \_\_\_\_\_  
 क्रम सं. \_\_\_\_\_  
 मु. नं. 02/2019 वर्ष \_\_\_\_\_

नांक	आज्ञा - पत्र
	<p>                             नं. DMS 2018 (SC) Page No 826 का अप्रयोजित परामा जीव/सप्तपुत्रा जमीन का प्रथम इच्छा प्राप्त। मुद्रा नहीं है। तथा सुविधा का सेतुलन भी जमीन के पत्र में नहीं है। एव अप्रयोजित सति भी जमीन की नही होगी इसलिए आवेदन पत्र प्रथम स्वर्ची खारिस कर प्रामा जाने की टपा को वही उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस पर प्रत्यक्ष गामा/पनावली पर उपलब्ध राजस्व रिमाई व लक्ष्मी का अप्रयोजित गामा/पनावली के अप्रयोजित से स्पष्ट है कि विवादित इच्छा भूमि स्वसरा नं. 03, 177, 178 व 64 राजस्व गाम पलभाना तहसील धोद (हाल तहसील सीकर जामाीण) में अप्रयोजित है जो पेंचूक इच्छा भूमिया है। उक्त इच्छा भूमियों का एकमात्र स्वतंत्र कारकाट अजाभी सेख्या 1 है। उक्त इच्छा भूमियों विरासत अजाभी सेख्या 1 को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। उक्त भूमियों में जमीन के पिला अजाभी सेख्या 2 का एक हिस्सा एव अधिकार निर्धारित नहीं हुआ है। धूमि: विवादित इच्छा भूमियों पेंचूक है। श्रीमानजीय राजस्व मज्जल अजाभी न्यायालय के प्रकरण सेख्या निगानी 17.13/70/99 मज्जल दिनांक 6/11/2005 उक्तान प्रेडरन्ड वनाभ भोमपुकारा के निर्णय के अनुसार एक हिन्दु पुत्र अपने पिला की पेंचूक भूमि पिला के जीवन काल में अधिकार रखता है तथा विभाजन करा सकता है बल प्रकार प्रकरण में पुत्र इच्छा का प्राप्त जमीन के पत्र के मुद्रा है तथा सुविधा का सेतुलन भी जमीन के पत्र में ही तथा अप्रयोजित जमीन जमीन की ही होगी। इसलिए न्यायालय विचारान दावा/मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को राजस्व रिमाई की प्रस्तावित वनाभे रखने देले स्वामी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझा है।                         </p> <p>                             अतः विवादित इच्छा भूमि स्वसरा नं 03, 177, 178 व 64 राजस्व गाम पलभाना पट्टवार इलाका रसोदपुरा तहसील सीकर हाल तहसील सीकर जामाीण में अप्रयोजित में उभयपक्षकारान को लघोरान दावा/मूलवाद के निस्तारण तक स्वामी निषेधाज्ञा से राजस्व                         </p>

02/19  
 सहायक कलक्टर

दिनांक

रिक्त की चष्मा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद  
किया जाता है। पनावली फौसल शुमार डोकर  
नकर से कर है। दारिबल दाफतर है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

ग्रह फौसला आज दिनांक 27/6/24 को मेरे  
द्वारा खुले व्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

नेर  
अ  
नेर